ekuuh; iz/kkuea=h th]
ekuuh; dsUnzh; ea=hx.k]
;kstuk vk;ksx ds mik/;{k]
esjs lkFkh eq[;ea=hx.k
,oa vU; jkT;ksa ds ea=hx.k]
rFkk Hkkjr ljdkj ,oa jkT; ljdkj ds mifLFkr inkf/kdkjhx.kA

बारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप पर विचार–विमर्श के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा आहूत इस बैठक में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ।

प्राकृतिक एवं भूगर्भ संसाधनों से परिपूर्ण झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय उत्पादन में अपना योगदान सत्त करती रही है। राज्य की 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है जो देश के अन्य राज्यों को पर्यावरण संतुलन प्रदान करता है। देश का सबसे बड़ा कोयले का भण्डार एवं लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा भण्डार हमारे राज्य में है जो देश के अन्य राज्यों में लौह उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्र को कच्चा माल प्रदान कर राष्ट्रीय उत्पादकता में सहयोगी है। हमारे राज्य की अन्य महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा भी राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि का अपरिहार्य स्रोत है। हमारे राज्य की भूमि का स्वरूप पठारी होने के कारण हमारे वर्षा का जल सीमावर्ती राज्यों को जल संसाधन उपलब्ध कराता है।

परन्तु यह विडम्बना है कि हमारी जनता गरीब है। हमारे राज्य के भूगर्भ संसाधनों से परिपूर्ण होने, किन्तु खनिजों के अत्याधिक दोहन से हमारी जनता सर्वाधिक प्रभावित होती है। एक तो उन्हें उत्खनन् क्षेत्र से विस्थापित होना पड़ता है दूसरे उत्खनन् से निकलने वाले overburden dumping के कारण कृषि ह्रास होता है जो उनकी जीविका से जुड़ा है। औद्योगिक एवं उत्खनन् गाद के नदी में प्रवाहित होने से पेयजल, सतही जल एवं पर्यावरण भी प्रभावित होता है। उद्योग तथा उत्खनन् से जितनी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं उसका मात्र कुछ प्रतिशत ही इन प्रक्षेत्रों में नियोजित हो पाते हैं। परिणामस्वरूप गरीब एवं अभावग्रस्त युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा वामपंथी धारा में बह जाते हैं। आज राज्य के 24 में से 19 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हो चुके हैं।

सबसे बड़ी विडम्बना हमारे राज्य की यह है कि उत्पादक राज्य होने के कारण उत्पादित खनिजों का मूल्य हमारे राज्य की सकल आय में जोड़ दिया जाता है जबकि सम्पदा केन्द्र सरकार की होती है। इतना ही नहीं सभी बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की

आय को भी राज्य के सकल आय में जोड़ दिया जाता है जबकि लगभग सभी सार्वजनिक उपक्रम के मुख्यालय महानगरों में अवस्थित है और यह आय भी मुख्यालयों को हस्तांतरित हो जाती है। राज्य के मात्र 2.25 प्रतिशत लोग ही इसमें कार्यरत हैं। उपरोक्त कारणों से राज्य की सकल आय का आँकड़ा तो बड़ा हो जाता है जबकि वह आय वास्तव में केन्द्र सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर व्यय की जाती है। बढ़े हुए Virtual सकल घरेलू उत्पाद मूल्य के कारण गाडगिल–मुखर्जी फार्मूला के आधार पर राज्यों को वितरित किए जाने वाले केन्द्रीय संसाधन की मात्रा राज्य की वास्तविक आवश्यकता अथवा उसके वास्तविक हकदारी से काफी कम हो जाती है। लौह एवं कोयला उत्खनन के फलस्वरूप इस राज्य को लगभग 2300 करोड़ रू0 रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है जबकि राज्य के कुल आय में इससे 100 गुणी अधिक राशि (कुल उत्पादित खनिज का मूल्य) जोड़ दी जाती है जो वास्तविकता से बिल्कुल ही अलग है। हमारी मांग रही है कि केन्द्र सरकार के खनिज उत्पादन के मूल्य को राज्य के सकल उत्पाद में कदापि न जोड़ा जाय जैसे Off shore oil & gas का उत्पादन मूल्य किसी भी राज्य के सकल उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है। मैंने इस भ्रांतिपूर्ण आकलन तथा केन्द्रीय संसाधनों के वितरण की विसंगतियों की ओर बार–बार केन्द्र सरकार एवं योजना आयोग का ध्यानाकृष्ट किया है परन्तु निदान आज भी प्रतीक्षित है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय संसाधनों के वितरण में GSDP को आधार न मानकर राज्य की कुल वास्तविक आय को आधार माना जाय जो विकास का स्वतंत्र और बेहतर सूचक है।

महोदय, हमारे राज्य में लगभग 35 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, अगर परिवार 5 व्यक्तियों का माना जाय तो इनकी संख्या 35 लाख X 5 = 1,75,00,000 (एक करोड़ पचहत्तर लाख) होती है जो कुल जनसंख्या का लगभग 46 प्रतिशत होता है। इतनी बड़ी BPL आबादी को अनिवार्य सरकारी वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष रु0 6830/- करोड़ का व्यय होता है जो कुल उद्व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य की योजना का कुल उपबंध रु0 12232.75 करोड़ था। स्पष्ट रूप से BPL परिवारों की इस बड़ी आबादी के वित्तीय भार का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

BPL के संबंध में केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग में कदाचित भ्रम व अनिश्चितता की स्थिति दिखलाई पड़ती है। गरीबी की त्रासदी झेल रहे परिवारों की सही पहचान समय पर हो यह अति आवश्यक है। इसके लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश व प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। कई वर्षों तक गरीब परिवारों की पहचान न होने तथा उनकी संख्या में rigid approach रखने से समस्याएँ उत्पन्न होती है। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार व योजना आयोग BPL परिवारों की पहचान हेतु एक आयोग का गठन करें। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु दी जानेवाली राशि भी चिन्हित परिवारों व गरीबों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाय; विशेष रूप से जब राज्य सरकार नये BPL परिवारों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न एवं योजनाओं में केन्द्रांश की मांग करती है।

राज्य के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें से आधी राशि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मैंचिंग ग्रांट में व्यय हो जाती है। लगभग 600.00 करोड़ रु0 उग्रवाद से निपटने में प्रयुक्त केन्द्रीय बलों के रख–रखाव एवं विधि व्यवस्था पर व्यय धारित है। लगभग 800/- करोड़ रु0 की राशि हमें जनकल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर व्यय करनी पड़ती है। राज्य सरकार की स्थापना एवं गैर योजना व्यय तथा केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था आदि पर काफी बड़ी राशि का व्यय होती है। कुल मिलाकर राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि हम अपेक्षित विकास स्तर की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधन की व्यवस्था कर सकें। आधारभूत संरचना के प्रमुख घटक यथा– पथ, परिवहन तथा विद्युत उत्पादन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए योजना आयोग से BRGF के तहत् रू0 1500.00 करोड़ की राशि माँगी गई थी, परन्तु पिछले वर्ष यह राशि स्वीकृत नहीं हुई। हमें आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में BRGF State Sector के लिए केन्द्र सरकार से यह राशि प्राप्त हो पायेगी।

झारखण्ड राज्य में लगभग 66.85 प्रतिशत आबादी की जीविका कृषि कार्य पर आधारित है। परन्तु मात्र 12.77 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है एवं 2.74 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बंजर है। राज्य में मोनोक्रापिंग प्रचलित है। इस प्रकार कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि के तहत् लाने, बहुफसल प्रणाली को प्रचलित करने, परम्परागत फसलों से व्यावसायिक फसल लगाने, बागवानी का प्रसार करने, Exotic फसल तथा दवाओं के फसलों का प्रसार करने की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं।

संचयित किए गए वर्षा जल एवं सतही जल के बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल हेतु राज्य में सूक्ष्म सिंचाई पद्वतियों, यथाः स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध होगा कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन अन्तर्गत झारखण्ड को अधिक राशि आवंटित की जाए, जिसके फलस्वरूप राज्य की उबड़–खाबड़ भूमि पर जहॉ एक ओर सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी, वहीं दूसरी ओर उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

राज्य के 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत गरीब किसान हैं, जो पर्याप्त राशि के अभाव में वैज्ञानिक पद्वति से कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत लगभग 18 (अठारह) लाख किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किए जाने है। अबतक लगभग 9 (नौ) लाख आवेदन पत्र राज्य के विभिन्न व्यासायिक बैंको में जमा किए गए हैं किन्तु अबतक मात्र 2 (दो) लाख आवेदन स्वीकृत किए गए है, जिसे किसी भी दृष्टिकोण से संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान बैंकों से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु आकृष्ट कराना चाहता हूँ, ताकि किसानों को आवश्यकता से अधिकाधिक ऋण मिल सके।

जब कृषि कार्य अपनी चरम सीमा (peak period) पर होते हैं तो राज्य में उर्वरकों की भारी कमी महसूस की जा रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने उर्वरकों के अग्रिम भंडारण (pre-positioning) की योजना तैयार की है, जिसके आलोक में राज्य को यथेष्ठ मात्रा में उर्वरक आवंटित किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय नीतियों एवं संरक्षण के फलस्वरूप देश में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। दुर्भाग्यवश हमारे राज्य में सेवा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसमें आवश्यकता के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राज्य स्तरीय संसाधन अपर्याप्त हैं। विकल्प स्वरूप PPP Mode को प्रोत्साहित करने का हर सम्भव प्रयास करने पर यह परिलक्षित हुआ है कि निजी भागीदार भी उन्हीं राज्यों में निवेश करने की इच्छा रखते है जहाँ पहले से ही आधारभूत संरचनाओं का ढाँचा दृढ़ है। ऐसी स्थिति में एक समृद्ध भारत का सपना तभी पूरा होगा जब केन्द्र सरकार सभी पिछड़े राज्यों को अगड़े राज्यों के समकक्ष लाने के लिए कृत संकल्प हो तथा Infrastructure Central Pool का

निर्माण कर एवं बजट सहायता उपलब्ध कराकर आधारभूत संरचना खड़ी करने का प्रयास किया जाय।

झारखण्ड राज्य का निर्माण वर्ष 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अर्न्तगत हुआ है। पूर्व में भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ है जिसमें जनसंख्या के आधार पर नवगठित राज्यों के बीच दायित्वों का वितरण हुआ है, परन्तु झारखण्ड राज्य के साथ यह विडम्बना है कि पूर्ववर्त्ती बिहार के दोनों नई इकाईयों के बीच हर प्रक्षेत्र हेतु अलग–अलग मानक निर्धारित किया गया, जिससे पेंशन दायित्व के विस्तार जैसी समस्या सामने आ जा रही है।

हमारे नक्सल प्रभावित राज्य में खनिजों का दोहन केन्द्र सरकार के उपक्रमों के द्वारा कराया जाता है एवं परिवहन देश के सुदूरवर्त्ती राज्यों तक किया जाता है। झारखण्ड राज्य में खनिजों के दोहन, उपक्रमों की सुरक्षा एवं खनिज परिवहन की सुरक्षा आदि पर किया जानेवाला व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, जबकि खनिज का उपयोग देश के अन्य भागों में होता है। ऐसी स्थिति में राज्य को सुरक्षा मद में आवश्यक अनुदान स्वीकृत करने की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की बनती है। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि केन्द्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति का व्यय भार झारखण्ड जैसे राज्यों पर न दिया जाय।

केन्द्र सरकार के द्वारा कोयला खन्न कम्पनियों को कोल ब्लाक आवंटित किया जाता है और वे कम्पनियाँ राज्य सरकार को मात्र सूचना देते हुए उत्खनन् का कार्य प्रारम्भ कर देती है। इस खनन् से राज्य की भूमि घटती है तथा आबादी का विस्थापन होता है। उक्त आबादी के पुर्नवास एवं नए सिरे से जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार को किसी तरह की आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं होती है। अन्य राज्यों में भी कोयला भण्डार है परन्तु कोल ब्लॉक का अधिकांश आवंटन झारखण्ड में ही किया जा रहा है। दूसरी ओर झारखण्ड राज्य को पूर्व आवंटित कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया जा रहा है। यह बड़ी विडम्बना है कि इस प्रदेश के प्राकृतिक साधन स्रोतों से इसी प्रदेश वंचित किया जा रहा है। विस्थापन जैसे संवेदनशील विषय को दृष्टिगत रखते हुए Coal Bearing Areas (Exhibition and Development) Act 1957 की समीक्षा की जानी चाहिए।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने क्षेत्र में खनन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई एवं वास्तव में कितने क्षेत्रों में खनन का कार्य चल रहा है इसे पारदर्शी बनाया जाय ताकि राज्य सरकार को इस क्षेत्र के आंकड़ें प्राप्त हो सके।

खनिज संसाधनों के संबंध में केन्द्र सरकार के द्वारा नियम एवं अधिनियम बनाएँ गए हैं जिनके तहत् राज्य सरकार की भूमिका अत्याधिक सीमित है। इन महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हम इस अमूल्य धरोहर को बचाकर रख सकें। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम अपनी खनिज संसाधन का दोहन तो कर पाते है परन्तु शोधन की क्षमता हमारे पास सीमित है जिसके फलस्वरूप हम विभिन्न खनिज अयस्कों का निर्यात करते हैं। मेरे विचार से खनिज अयस्कों का निर्यात समाज एवं राष्ट्रहित में नहीं है। इस प्रकार की नीतियों से खनिजों के अवैध उत्खनन् को भी प्रश्रय प्राप्त होता है। झारखण्ड सरकार के मंत्रिपरिषद् के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि इन खनिजों के निर्यात् पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा की जाय। अतः मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि MMDR Act में संशोधन कर खनिजों के निर्यात पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई की जाय।

वन एवं पर्यावरण से संबंधित कई नियम एवं अधिनियम राज्य के विकास में बाधक रहे हैं। बड़ी–बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थल तथा उनके Catchment area वन क्षेत्र में पड़ते हैं। कई अन्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में Forest Conservation Act 1980 के कारण बाधाएँ आती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन कई बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ ऐसी हैं जिन्हें वन भूमि में अधिष्ठापित किया गया है एवं उक्त वन भूमि के बदले Compensatory Aforestation की जवाबदेही राज्य सरकार की बन जाती है।

एक तरफ विकास योजनाओं के लिए गैर–वन–भूमि का राज्य में प्रायः अभाव है वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय औद्योगिक इकाईयों के लिए वन भूमि के बदले कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन की जवाबदेही राज्य सरकार की बन जाती है जिसका निदान अब सम्भव प्रतीत नहीं होता है। हम केन्द्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इन प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया जाय तथा झारखण्ड राज्य में Compensatory Afforstation के बदले Afforestetion in degraded forests का प्रावधान लाया जाय। साथ ही इस राज्य में राष्ट्रीय औसत से

अधिक वनक्षेत्र होने के आधार पर इसे राष्ट्रीय धरोहर मानकर विशेष केन्द्रीय योजना के तहत् इसके रख–रखाव एवं वाणिकीकरण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाय।

राज्य में मानव संसाधन एवं कौशल विकास करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ प्रारम्भ की गई है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष को ;|0k ,0 dk'ky fodkl o"k घोषित किया गया है। राज्य में मानव संसाधन के कौशल विकास के द्वारा उनके बेहतर उपयोग एवं उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से नॉलेज सिटी के विकास का कार्यारम्भ किया गया है जो I.T. तथा फार्मा हब के रूप में विकसित होगा। इसके लिए 400 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। परन्तु आधारभूत संरचना विकास के लिए हमें 500.00 करोड़ रु0 की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस निधि की व्यवस्था में हमारी मदद करेगी।

राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों में आगामी पंचवर्षीय योजना में 25 लाख युवाओं का कौशल विकास (Skill development) करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रशिक्षित युवाओं को कौशल विकास एवं नियोजन में केन्द्र सरकार से सहयोग की आशा है। इस क्रम में अनुरोध है कि स्थानीय युवाओं को केन्द्रीय लोक उद्यमों में नियोजन का अवसर सुनिश्चित करने हेतु उचित नियमन लाया जाय।

राज्य के गठन से लेकर आजतक नई राजधानी का निर्माण नहीं हो पाया है। राज्य सरकार द्वारा नई राजधानी के निर्माण के लिए भूमि का चयन हो चुका है, जिसपर उच्च न्यायालय, विधान सभा भवन, राज्य सचिवालय भवन एवं अन्य आवश्यक परिसरों का निर्माण किया जाना है। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु, हमें रु0 800.00 करोड़ के केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस राशि की व्यवस्था करने में हमारी मदद करेगी।

हमारे राज्य में प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत राष्ट्रीय मानक से थोड़ी ही कम है जबकि ऊर्जा के उत्पादन में हम राष्ट्रीय मानक से काफी पीछे हैं। ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा उद्योग तथा खन्न प्रक्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जाता है फलस्वरूप निजी उपभोक्ताओं के हिस्से में आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ऊर्जा संचरण का राज्य में आभाव है। स्पष्ट है कि बिना संचरण व्यवस्था के ऊर्जा को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना भी सम्भव नहीं है। संचरण व्यवस्था में कम लाभ एवं अधिक पूँजी

निवेश की आवश्यकता के आलोक में निजी भागीदार आगे नहीं आतें है। अतः संचरण के लिए सीधा सरकारी निवेश अपरिहार्य है।

राज्य के विद्युत बोर्ड का Unbundling करना भी आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के पश्चात् पूर्ववर्ती बिहार राज्य का समस्त तत्कालीन Consumption दायित्व उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा विद्युत संरचना के जीर्णोद्धार के लिए 6 राज्यों का चयन किया गया है। हमारी माँग है कि भारत सरकार हमें भी चयनित राज्यों में शामिल करें।

केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप जल विद्युत परियोजनाओं में से 12 प्रतिशत उत्पादित बिजली निःशुल्क संबंधित राज्य को मिलती है। थर्मल पावर प्लान्ट के संबंध में झारखण्ड राज्य जल उपलब्ध कराता है, विस्थापन का दंश झेलता है, कोयला उत्खनन् एवं गैसीय उर्त्सजन का प्रदुषण वहन करता है, तब भी 12 प्रतिशत थर्मल पावर प्लान्ट से उत्पादित बिजली को ''वेरियबल मूल्य'' के आधार पर भी प्राप्त करने के दावे का केन्द्र सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो कि कदापि न्यायोचित नहीं है। निजी पावर प्लान्ट द्वारा इस प्रकार की 12 प्रतिशत बिजली ''वेरियबल मूल्य'' के आधार पर झारखण्ड राज्य को दी जा रही है, अतएव इसी अनुरूप झारखण्ड राज्य में अवस्थित केन्द्रीय निकायों के पावर प्लान्ट एवं भविष्य में आने वाले निजी पावर प्लान्ट से भी झारखण्ड राज्य को 12 प्रतिशत बिजली वेरियबल मूल्य के आधार पर मिलनी चाहिए।

झारखण्ड राज्य के धनबाद, गिरीडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ एवं बोकारो जिला के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम लि0 के द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में सभी एच0टी0 उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करके लाभ अर्जित किया जा रहा है। जबकि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है। इससे राज्य विद्युत बोर्ड औद्योगिक इकाई बनाम घरेलु/ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच बिजली दर को संतुलित नहीं कर पाता है, फलस्वरूप राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य के उक्त सात जिलों में एच0टी0/एल0टी0/घरेलु सभी उपभोक्ताओं को डी0भी0सी0 द्वारा ही बिजली आपूर्ति की जाय।

राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण में अधिकतम 25 के0भी0ए0 के Transformers के लगाने के बाध्यता को हटाते हुए गॉवों की पूरी आबादी की आवश्यकता

के अनुरूप अगले 5 वर्षो की मॉग को दृष्टिपथ में रखते हुए Transformers या अन्य वितरण तंत्र के व्यवस्था को योजना से सम्पोषित करने का प्रावधान रखा जाय। ज्ञातव्य हो कि 39754 ट्रांसफारमर में से लगभग 4400 ट्रांसफारमर जल चुके हैं। आगे भी उनका जलना जारी है। राज्य के सभी गॉवों में वास्तविक लोड का आकलन कराकर आवश्यक ट्रांसफारमर एवं अन्य वितरण संरचना का डी0पी0आर0 बनवाया जा रहा है जिसके अनुसार प्रभावी ढंग से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु लगभग रू0 3000 करोड़ की आवश्यकता होगी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध कराया जाय।

केन्द्र सरकार ऊर्जा तथा उद्योग की आवश्यकताओं हेतु कोयले के ब्लॉक का आबन्टन विभिन्न पब्लिक व प्राईवेट सेक्टर कम्पनियों को कर रही है। यद्यपि राष्ट्रहित में कोयले का उत्खनन जरूरी है किन्तु यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन क्षेत्रों में उत्खनन कार्य शुरू कर दिया जाय। अधिकांश Coal-Blocks पिछड़े व आदिवासी क़्षेत्रों में स्थित हैं और वहॉ के लोग जंगल व कृषि पर निर्भर हैं। उत्खनन के पूर्व विस्थापितों व प्रभावित व्यक्तियों की चिन्ता सरकार को पहले करनी चाहिए। उनके मुआवजा, रोजी–रोटी, स्वास्थ्य व पूर्ण पुनर्वास की व्यवस्था जब तक न हो जाय तब तक दबाब देकर कोयला निकालने की जल्दबाजी न की जाय। केन्द्र सरकार तो झारखण्ड के पब्लिक सेक्टर कम्पनियों पर भी तत्काल उत्खनन का दबाब देती रही है और ऐसा न करने पर Coal-Blocks को रद्द करने की कार्रवाई कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं।

चूॅकि राज्य कोयला उत्खनन से प्रदूषण को झेलता है अतः उसे आंशिक रूप में क्षतिपूर्ति करने हेतु एम0एन0आर0ई0 द्वारा प्रस्तावित सौर पावर प्लान्ट में से 40 प्रतिशत प्लान्ट झारखण्ड राज्य में स्थापित कराये जाय, साथ ही राज्य अथवा राज्य निकाय/निगम/बोर्ड को आवंटित कोल ब्लॉकों को रद्द नहीं किया जाय।

झारखण्ड राज्य में यूरेनियम की उपलब्धता के दृष्टिगत यह राज्य केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा रखता है कि इस राज्य में एक न्यूक्लीयर पावर प्लान्ट की अधिष्ठापना हेतु त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जाय।

यह सर्वविदित है कि देश और राज्य के विकास का सीधा संबंध विधि व्यवस्था से है और विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए वादों का ससमय निष्पादन एवं त्वरित न्याय अनिवार्य है। परन्तु अगर न्यायपालिका व्यवस्था पर नजर डाली जाय तो यह स्पष्ट होता है कि हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका लम्बित वादों के बोझ तले दबी हुई है।

लम्बित वादों के बोझ का निष्पादन हमारी न्यायपालिका के वर्तमान क्षमता के अन्दर नहीं रह गया है। कारण चाहे जो हो परन्तु इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि विश्व के अन्य जनतंत्रों, जहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था उचित एवं अनुरूप है, का अध्ययन किया जाय और तदनुसार हमारे देश के लिए आवश्यक सुधार लागू किया जाय।

केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 100 से अधिक केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ चलायी जा रही है जिनका कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए काफी अधिक संख्या में पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जबकि इन योजनाओं में स्थापना का प्रावधान बिरले ही होता है। फलस्वरूप राज्य सरकार की स्थापना की एक बड़ी क्षमता केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में ही चली जाती है। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार की योजनाओं के निरूपण के समय ही प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंधन भी योजना के अन्तर्गत ही होना चाहिए।

केन्द्रीय योजनाओं के निर्माण में एकरूपता पाई जाती है परन्तु विभिन्न राज्यों की भौगोलिक दशाएँ भिन्न–भिन्न होती है। फलस्वरूप केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों को अपने भौगोलिक दशाओं के अनुरूप संशोधन करने की छूट दी जानी चाहिए। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं में राज्यांश की राशि पूरी योजना अवधि (पंचवर्षीय योजना) में नियत रखी जानी चाहिए, क्योंकि राज्य के संसाधन नियत होते हैं। अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में राज्यांश की राशि बढ़ा दी गई है इसका सीधा असर राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं पर पड़ता है, अतः मेरा अभिमत है कि पूरे पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्यांश की राशि नियत रखी जाय।

कृषि के विकास का आधार ही सिंचाई है। बिना व्यवस्थित एवं निरन्तर सिंचाई व्यवस्था के द्वितीय हरित क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 1300 mm वर्षा होती है परन्तु पहाड़ी एवं पठारी भू–भाग होने के कारण जल प्रबंधन एवं जल छाजन एक बड़ी चुनौती है। जल संचयन (Water Harvesting) को बढ़ावा देने हेतु पारम्परिक जल संरचनाओं/तालाबों को मशीनों द्वारा उचित गहरीकरण की

आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर छोटे–छोटे श्रंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

हमारी कृषि योग्य भूमि का भाग 12.77 प्रतिशत ही सिंचित है। कृषि विकास में उल्लेखनीय प्रगति लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वर्णरेखा परियोजना प्रारम्भ की गयी जिसकी वर्तमान लागत 6500.00 करोड़ रु0 हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर 2000.00 करोड़ रु0 का व्यय किया जा चुका है परन्तु राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से इसे अब पूरा करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इस परियोजना का लाभ ओड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को भी होना है। अतः हमारा यह अनुरोध है कि DVC, भाखरा नांगल एवं कावेरी परियोजना की तरह ही इसे भी एक केन्द्रीय परियोजना के रूप में ग्रहण कर आगामी 3 वर्षों में इसे पूर्ण करने हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि स्वर्णरेखा बेसिन को और अधिक जलापूर्ति करना झारखण्ड एवं पड़ोसी राज्य ओड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। इसके लिए दक्षिणी कोयल नदी एवं शंख नदी को जोड़ते हुए दामोदर स्वर्णरेखा और अंततः गंगा नदी को जोड़ने की महती योजना की सम्भावना पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं योजना आयोग से आग्रह करता हूँ कि इस महती परियोजना का Techno economic feasibility cum viability study राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से कराने में अपेक्षित सहयोग दिया जाय।

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना पिछले वर्ष प्रारंभ की गई है। इस योजना के द्वारा बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करने एवं Gender Planning हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत पोस्ट ऑफीस के माध्यम से NSC का क्रय बालिकाओं के नाम से किया जाता है। पोस्ट ऑफीस सेविंग रूल के तहत राष्ट्रीय बचत पत्र के क्रय पर Pledging & Non Pledging Fee लगाया जाता है। हमारी सरकार ने डाकतार विभाग, भारत सरकार से इसे माफ करने का पत्र लिखा है। हमें आशा है कि भारत सरकार इस नियम में आवश्यक संशोधन कर शुल्क मुक्त करेगी।

केन्द्र सरकार की मिड–डे–मिल योजना से शिक्षा के प्रसार में काफी वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा इन स्कूलों के भोजन पकाने हेतु दी जा रही गैस सिलेन्डरों पर सबसिडी खत्म करने से बच्चों को परोसे जानेवाले भोजन की गुणवता में कमी आई है। मेरा विशेष आग्रह है कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए गैस सिलेन्डरों की सबसिडी को पुनः जारी किया जाय।

राज्य स्वास्थ्य मानकों में काफी पीछे है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना राज्य में चलायी जा रही है जिससे राज्य की स्वास्थ्य मानकों में काफी सुधार हुआ है परन्तु NRHM में भारत सरकार ने केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का अनुपात 85:15 से घटाकर 75:25 कर दिया है, जिससे राज्य सरकार पर अधिक बोझ बढ़ गया है, जिसे पुनः 85:15 किये जाने का अनुरोध है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रारंभ किया जाय जिससे शहरी स्वास्थ्य में भी सुधार हो सके।

जवाहरलाल नेहरू अरबन मिशन के तहत् भारत सरकार द्वारा जितनी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है उन्हें पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को 536.00 करोड़ रु0 की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की एक बड़ी राशि रोक रखी गई थी क्योंकि नगर निकायों के चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाए थे। अब चूँकि नगर निकायों के चुनाव हो चुके हैं तथा सुधारों को लागू कर दिया गया है अतएव केन्द्रांश की लम्बित राशि को ACA के तहत् यथाशीघ्र विमुक्त कर दिया जाय। ऐसा नहीं होने से परियोजनाओं की लागत बढ़ेगी और उन्हें पूरा करा पाना मुश्किल होगा।

महोदय, झारखण्ड राज्य में आजादी के पूर्व से लेकर आज तक जितने भी परिवहन की आधारभूत संरचनाओं यथा–रेल पथ एवं सड़क का सृजन हुआ है उसे मात्र खनिज एवं औद्योगिक उत्पादों के सुगम परिवहन के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। आप सबों को विदित होगा कि रेलवे अपने सकल freight राजस्व का 50% भाग झारखण्ड क्षेत्र से ही अर्जित करता है परन्तु आजादी के दशकों बाद भी आम जनता के आवागमन की सुविधा के दृष्टिकोण से रेल तथा सड़क परियोजना का निर्माण आज भी प्रतीक्षित है।

मुख्य सड़कों का राष्ट्रीय औसत 182.04 Km प्रति 1000 वर्ग कि०मी० है जबकि यह झारखण्ड में मात्र 86.3 Km ही है। PMGSY का लाभ भी इस राज्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पुलों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जबकि PMGSY में 50 मीटर लम्बाई से बड़े पुल तथा 100 की आबादी से कम के गाँवों को जोड़ा ही नहीं जाता है। सर्वविदित है कि पहाड़ों पर आबादी छोटे–छोटे टालों में बँटकर रहती है। अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि क्षेत्रीय जटिलता के दृष्टिगत झारखण्ड राज्य में 50 मीटर से बड़े पुलों तथा 200 आबादी तक के गाँवों को PMGSY के तहत् सड़क उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय।

रेलवे के 8 परियोजनाओं की मूल लागत 1997.00 करोड़ रू0 का 67% अंशदान राज्य सरकार ने वहन किया है। नये MoU के अनुसार बढ़ी हुई लागत 3292.00 करोड़ रू0 में शेष राशि का 50% अंशदान राज्य सरकार दे रही है। ज्यादातर परियोजनाएँ अभी तक पूर्ण नहीं हुई है और लागत पुनः बढ़ने की प्रबल संभावना है। राज्य सरकार अनुरोध करती है कि रेलवे परियोजनाओं की इस बढ़ी हुई लागत को रेल मंत्रालय स्वयं वहन करें।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस राज्य का संशोधित उद्व्यय 44713.75 करोड़ रु0 निर्धारित किया गया एवं 37551.19 करोड़ रु0 का व्यय किया गया जो कुल उद्व्यय का 84.00% है। इसे दृष्टिपथ में रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य का उद्व्यय 106536.72 करोड़ रु0 रखा गया है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्व्यय का लगभग ढाई गुणा है। इसमें वार्षिक मुद्रा स्फीति को भी सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि प्रक्षेत्र, उद्योग प्रक्षेत्र एवं सेवा प्रक्षेत्र में विकास दर क्रमशः 6.5%, 12.5% एवं 11.5% का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा संकल्प है कि हम शत प्रतिशत उपलब्धि आपके सहयोग से प्राप्त करेंगे।

मेरा स्पष्ट अभिमत है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक हम इस देश के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के वर्गों का स्तर सामान्य स्तर तक नहीं उठा पाये हैं। संविधान में Scheduled Area के प्रशासन व विकास का दायित्व केन्द्र सरकार को दिया गया है लेकिन इन क्षेत्रों में बसे लोगों की आर्थिक स्थिति आज भी सोचनीय है। मैं केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि इन क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास दर की वृद्धि हेतु कम से कम पूरे केन्द्रीय बजट की राशि का उतना प्रतिशत व्यय आदिवासी कल्याण पर सीधे सुनिश्चित किया जाय, जितनी प्रतिशत आबादी उनकी है। यह देखना होगा कि इन योजनाओं का पूरा लाभ मात्र उन्हीं वर्गों को मिले। अतः केन्द्रीय बजट में एक अलग भाग Scheduled Area के लिये कर्णांकित कर मात्र आँकड़ों में न दिखाया जाय बल्कि ऐसी राशि का शत् प्रतिशत व्यय उन्हीं परिवारों की स्थिति सुधारने में किया जाय जिनके उत्थान का दायित्व हम सबका है। पूरे देश में यही वे क्षेत्र हैं जिनमें जन–अंसतोष झलकता है और उग्रवाद को पनपने का मौका मिलता है।

मैं एक बार पुनः आप सबों का ध्यान उग्रवाद की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उग्रवाद के फलस्वरूप विकास की गति तो बाधित होती ही है, सरकारी

परिसम्पत्तियों एवं जान का नुकसान भी होता है जो अपूरणीय है। यह मात्र रूटीन विधि–व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सेवा क्षेत्र की सुविधाओं में इतना विकास तो करना ही होगा कि प्रत्येक युवा को जीवन यापन के लिए रोजगार उपलब्ध हो; सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा आदि सबके पहुँच में हो और वे मान्य सामाजिक जीवन मार्ग से भटक न सकें। इन सबके लिए हमारे राज्य को, जहाँ 24 में से 19 जिले उग्रवाद से प्रभावित है, विकास के एक ऐसे एकमुस्त खुराक की आवश्यकता है जो गरीबी एवं अभाव से जूझते नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं को यथासम्भव अल्पावधि में संतुष्ट कर सके। अतः मैं जहॉ एक तरफ आई0ए0पी0 को वर्त्तमान स्वरूप में जारी रखने का समर्थक हूँ वहीं इन जिलों को Infrastructure Development के लिए विशेष उपबंध करने का भी अनुरोध करता हूँ।

झारखण्ड राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की सभी आहर्त्ता पूरी करता है। राज्य की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी घरों का प्रतिशत क्रमशः 19.4 एवं 74.6 प्रतिशत है जो विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों से कहीं अधिक है। पेयजल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, शौचालय विहीन घरों, आधुनिक जीवन शैली के मापदण्डों, मुद्रा विनिमय के बैंकिग के लिए सुविधा का प्रसार, मानव संसाधन, पथ परिवहन आदि मामलों में राज्य सरकार विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों से निम्नतर स्थिति में है। अतः राज्य की जनता की ओर से मेरा अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाय एवं इसके लिए विशेष केन्द्रीय पैकेज उपलब्ध कराया जाय, जिसके बिना राज्य उग्रवाद की समस्या से निजात नहीं पा सकेगा।

अन्त में झारखण्ड की जनता की ओर से इस बैठक को आयोजित करने तथा मुझे एवं मेरे सहयोगियों को आमंत्रित करने के लिए मैं सबों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाएँ गए बिन्दुओं पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

धन्यवाद।

t ; fgUn] t ; >kj[k.M !